प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 100/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

ऋषभ कुमार मेघवाल पुत्र श्री सुखलाल मेघवाल निवासीः 304, रॉयल शॉपिंग सेन्टर, गुरूद्वारा मार्ग, देहली गेट, नियर मेहता चेम्बर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा उदयपुर (राज.)
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर तहसील कार्यालय गिर्वा द्वारा पारित सहमति बटवाड़ा, प्रकरण संख्या 25/2003 अनवान जोधसिंह बनाम राज्य निर्णय दिनांक 18.09.2003 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त विभाजन का विभाजन पत्र मय रंगीन नक्शा की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/100/24/970–72 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिर्वा से कोई जवाब/प्रत्युत्तर आज दिनांक तक पत्रावली पर प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2024/956 दिनांक 10.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2024/868 दिनांक 26.07.2024 द्वारा श्रीमान सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा को सूचना भिजवाई गई थी अतः अपील को निरस्त करवाने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक 868 दिनांक 26.07.2024 से तहसीलदार गिर्वा को सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रेषित की गई। तहसीलदार बड़गांव के उक्त पत्र अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय बड़गांव में उपलब्ध नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों में स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय बड़गांव के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार गिर्वा द्वारा कोई पत्राचार इस कार्यालय में नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा/बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना की गहन तलाशी कर वांछित सूचना नियमानुसार 21 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

साथ ही तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे एवं अपील में नियमित समयावधि में जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा/बड़गांव, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर